भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1577
उत्तर देने की तारीख : 02.08.2023

बिहार में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा वृद्धाश्रमों का संचालन

1577. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा कई वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) बिहार में संचालित किए जा रहे वृद्धाश्रमों की संख्या और वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी-कितनी है;
(घ) सरकार द्वारा वर्तमान सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, जिसमें निराश्रित वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है, इन वृद्धाश्रमों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ड.) विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा इन संस्थानों को जारी की गई धनराशि और जारी करने के लिए लंबित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के एक घटक के रूप में एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों) के संचालन तथा रखरखाव के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस समय, बिहार राज्य में कुल 400 निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आईपीएसआरसी के अंतर्गत ऐसे 9 वरिष्ठ नागरिक गृहों का संचालन तथा रखरखाव किया जा रहा है।

(घ): आईपीएसआरसी के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों की कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

i. इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का गठन किया गया है।

ii. वर्ष 2020-21 से इन गृहों के परिसर में क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा (सीसीटीवी) लगाना अपेक्षित हो गया है।

iii. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इन घरों के बारे में सूचना प्रदर्शित करने और सीसीटीवी कैमरा के लाईव फीड के लिए वेबसाइट बनाना भी अपेक्षित है।

iv. वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अग्रिम व्यय अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को यह दर्शाना पड़ता है कि उनके द्वारा अंततः अनुदान सहायता कहां खर्च की जा रही है।

(ङ.): विगत तीन वर्षों के दौरान, बिहार राज्य में वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए ऐसे पात्र कार्यान्वयन संगठनों को 28.35 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन, ई-अनुदान पोर्टल पर अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ-साथ प्रस्तावों की प्राप्ति के आधार पर सहायता अनुदान जारी करने संबंधी प्रणाली एक निरंतर प्रक्रिया है।

******